[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं0 29/2017-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, 30 जून, 2017

सा0का0नि0.... (अ)- केंद्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उसका यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अंतर्गत आने वाले अनुदेशात्मक प्रयोजनों के लिए नमूनों, माडलों, भितति चित्रों और आरेखों को, जब उन्हें भारत में आयात किया जाता है, उन पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण सीमाशुल्क से, जो उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, छूट प्रदान करती है ।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

(फा. सं. 354/119/2017-टीआरयू)

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार